

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,

फायर बिग्रेड कैम्पस, लोदीपुर, पटना।


## पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2. परिमाण विपत्र विक्री का अंतिम तिथि और समय : 06.02.2018 को अपराहण 03:00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि और समय : 07.02.2018 को 03:00 बजे अपराहण तक।
4. निविदा खुलने की तिथि और समय : 07.02.2018 को 03:30 बजे अपराहण।
5. परिमाण विपत्र विक्री का स्थान एवं कार्यालय : (क) अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।  
(ख) कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।  
(ग) सम्बंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल सं-0-1 पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।  
क्रमांक 5 के अनुसार
6. निविदा प्राप्ति का स्थान/कार्यालय
7. कार्यों का विवरण -

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(लाख में)	अग्रघन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षण
1	Repair Qtr. No.-11, Road No.-2 At Kazipur, Rajendra Nagar, Patna for they year 2017-18.	₹ 430866.00	₹8700/-	₹750/-	30 दिन	पिछड़ा वर्ग की महिला
2	Construction of Drain in K.G.A. Road infront of 3 K.G. Patna, Bihar for the year 2017-18.	₹ 907793.00	₹18,200/-	₹ 1500/-	7 दिन	अनुसूचित जन जाति
3.	Traffic Sign in Various Roads Sub-Division, R.C.D. Patna for the year 2017-18.	₹ 946690.00	₹19000/-	₹ 1250/-	7 दिन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

### विशेष सूचनाएँ :

1. पथ निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित अद्यतन नवीनीकृत संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. कार्यों के प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है निर्गत किये जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कागजात में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य एवं आरक्षण कोटि ही अंतिम और मान्य होगा।
3. निविदा के साथ में निम्न सूचनाएँ एवं कागजात जमा करना अनिवार्य होगा।  
(क) वांछित अग्रघन की राशि जो पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत पत्र आवश्यक निर्गम के रूप में बैंक गारन्टी (प्राक्कलित राशि एक करोड़ एवं उपर की स्थिति में) जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पदनाम से प्लेज होना चाहिए।  
(ख) पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी डाकघर का क्रय किया हुआ होना चाहिए जिसकी वैधता कार्य अवधि तथा डिफेक्ट लायविलिटी की अवधि को कभर करता हो।  
(ग) अपने रजिस्ट्रेशन का पूर्ण ब्यौरा जैसे व्यक्तिगत, संयुक्त, प्रा० लि०, संख्या आदि।  
(घ) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र, वॉट नम्बर, सेल टैक्स जमा चुकता पत्र, लेबर लाईसेंस आदि।  
(ङ) विज्ञापित कार्य हेतु अनुभव प्राप्त संवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निविदादाताओं को परिमाण विपत्र में कार्य करने का दर प्रतिशत से अधिक/कम या परिमाण विपत्र दर पर करने हेतु अंकित करना होगा।
5. निविदा से संबंधित कार्य के लिए समुचित श्रेणी के संवेदक भी विभाग द्वारा निर्धारित मशीन एवं उपकरण की भाड़ा/दर के भुगतान के विरुद्ध निविदा में भाग ले सकते हैं। कार्य सम्पादन के समय उक्त मशीनरी एवं प्लांट का अद्यतन विभागीय दर (शांति प्रमंडल के विपत्र पर आधारित) के अनुसार हायर चार्ज की कटौती संवेदक के विपत्र से किया जायेगा।
6. सशर्त निविदा अमान्य होगा। साथ ही बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को रद्द करने अथवा उन्हें एक से अधिक संवेदकों के बीच बाँटने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
7. परिमाण विपत्र आवेदन के साथ संवेदकों को परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र, अद्यतन आयकर एवं विक्री कर सफाया प्रमाण-पत्र, अद्यतन विक्री कर निबंधन प्रमाण-पत्र, एवं लेबर लाईसेंस एवं जाति प्रमाण पत्र (सिर्फ आरक्षण मामले में) की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना भोगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
8. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पटना के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा पटना में भुगतये हो।
9. आवंटन की प्रत्याशा में निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। विभाग में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर ही प्राथमिकता के अनुरूप संवेदकों से कार्य कराया जायेगा और कराये गये कार्यों का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में संवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10. सफल संवेदकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अगर एकरारनामा नहीं किया जाता है तो निविदा के साथ संलग्न अग्रघन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. एक बार निविदा में भाग लेने के बाद यदि निविदादाता निविदा प्राप्ति के अंदर कार्य कराने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो निविदा के साथ संलग्न अग्रघन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनः निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
12. संवेदक निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें। निविदा प्राप्ति के बाद जहाँ है जैसी है, के आधार पर ही संवेदक कार्यपूर्ण करने के लिये बाध्य होंगे।
13. कोई समय वृद्धि नहीं दी जायेगी, यह वाध्यता होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। समय पर संतोषप्रद ढंग से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निबंधन कालीकृत कर दी जायेगी।
14. निर्धारित तिथि को सरकारी छुट्टी घोषित होने की स्थिति में परिमाण विपत्र विक्री या निविदा की तिथि अगले दिन किया जायेगा।
15. परिमाण विपत्र की दर से 10 % से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार की निविदा अमान्य होगी।
16. डिवारमुक्त का शपथ पत्र देना होगा।
17. ₹ 25/-लाख से अधिक का कार्य अभी तक इस वित्तीय वर्ष में नहीं अर्जित है का शपथ पत्र देना होगा यह सिर्फ आरक्षण मामले में अनिवार्य है।
18. विस्तृत जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य-दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

  
 कार्यपालक अभियंता  
 नई राजधानी पथ प्रमंडल,  
 पथ निर्माण विभाग, पटना।  
 25.1.18